सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्या:– 99/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :– 16.06.2023

GCMS ID–2023/279

1. मोरपाल आ0 माधोलाल जाति गुर्जर निवासी बाल तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. तोलाराम आ0 माधोलाल जाति गुर्जर निवासी बाल तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. देवराज आ0 माधोलाल जाति गुर्जर निवासी बाल तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राजाराम आ0 रामकुवार जाति गुर्जर निवासी बाल तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सीताबाई पत्नी रामकुवार जाति गुर्जर निवासी बाल तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोबरी बाई पत्नी ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी त्रिशुल्या तह0 हिण्डोली।
2. गीताबाई पुत्री ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी त्रिशुल्या तह0 हिण्डोली।
3. फौरूलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी त्रिशुल्या तह0 हिण्डोली।
4. रामदेव पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी त्रिशुल्या तह0 हिण्डोली।
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री सुनील शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– शम्भूदयाल शर्मा

दिनांक :– 30/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 317 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा संख्या 635/316 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 667/316 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर वाके ग्राम बाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है जो प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 647/316 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 648/317 रकबा 1.2141 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम बाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज प्रार्थना पत्र की चरण सख्यां 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नहीं है और रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की भूमियों में आने जाने काश्त करने में काफी असुविधा होती है। भूमियॉ पर जाने का रास्ता नहीं होने से पडोसी काश्तकार प्रार्थीगण की भूमिया पर आने जाने में व्यवधान पैदा करते है जिससे झगडा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

होने की संभावना बनी रहती है। बून्दी से दबलाना जाने वाली सडक से प्रार्थीगण खसरा संख्या 320 में खसरा संख्या 321 व 322 की भूमि के सहारे सहोर होकर खसरा संख्या 984/322 में होकर अपनी भूमियों पर आते जाते है, खसरा संख्या 984/322 में निकलने में व आने जाने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है खसरा संख्या 320 के सहखातेदार प्रार्थीगण को अपनी भूमि में नहीं निकलने देते है। और धमकी देते है कि यदि आपको हमारी भूमि पर निकलना है तेा रास्ते की घोषणा करवाकर रास्ते की प्रतिकर राशि जमा करवाकर कर ही निकलो अन्यथा हम तुझे हमारी भूमि खसरा संख्या 320 में होकर नहीं निकलने देगे प्रार्थीगण के पास अपनी भूमियों पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैक्लिपक रास्त नही है प्रार्थीगण को दबलाना से बून्दी जाने वाली सडक से खसरा संख्या 320 में से खसरा सख्या 984/322 की सीमा तक खसरा संख्या 321 व 322 के सहारे नजरी नक्शा अनुसार 15 फिट चोडा रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.05.2023 को प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम हमारी भूमि खसरा संख्या 320 में रास्ते की घोषणा करवाये बिना अब नहीं निकलने देगे और न ही हमारी भूमि पर होकर तुम्हारे कृषि यंत्र आदि निकलने देगे। कुछ समय बाद फसल बाने का समय आने वाली है रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि पर फसल नहीं बो पायेगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। अप्रार्थीगण द्वारा 205.2023 को उनकी भूमि पर नहीं निकलने की धमकी देने से प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण बून्दी से दबलाना जाने वाली सडक से खसरा सख्या 322 में खसरा संख्या 321 व 322 के सहारे खसरा संख्या 984/322 की सीमा तक 15 फिट चौडे रास्ते की घोषणा करवावे एवं रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर रास्ते की नक्शे में तरमीम करवावे। श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में आने जाने व कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु बन्दी से रानीपुरा जोन वाली सडक से खसरा संख्या 320 में खसरा संख्या 984/322 की सीमा तक खसरा संख्या 321 व 322 के सहारे 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर रास्ते की तरमीम नक्शे में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जबाव पेश कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की घोषणा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 5 नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/600 दिनांक :–22.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 317, 635/316, 667/316 व 647/316, 648/317 खातेदारी भूमियॉ वाके ग्राम बाल पटवार मण्डल बडगांव में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 320 जो कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 320 में से 15 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 103 के खसरा संख्या 317, 635/316, 667/316 व खाता संख्या 111 के खसरा संख्या 647/316, 648/317 वाके ग्राम बाल पटवार मण्डल बडगांव में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बाल के खसरा 320 में से कुल 15 फीट चौडे व 746 फुट लम्बे रास्ते में कुल 11190 वर्गफुट (0.1039 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 1330000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.1039 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 138187/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 276374/रू– का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान करने उपरान्त/डी0डी0 न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 30.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446